Regd. No. 2/2016-17



UGB FAMILY WELFARE SOCIETY, DEHRADUN

"Society for Health & Welfare"

Regd. Office: 11, Rameshwar Mohalla, Near Jhanda Sahib, Dehradun, Uttarakhand - 248001 Website: http://www.ugbfws.com, Email: ugbwelfare.society@gmail.com
Contact: 7055704215, 9690338768

Society's Primary Membership Form Date - _ _ / _ _ / _ _ _ To. The President / Secretary, UGB Family Welfare Society, Dehradun Dear Sir, I agree with the basic tenets of "UGB Family Welfare Society". I acknowledge that I have read, understood and hereby agree to abide by the rules and regulations / bye-laws / ideals of the society. Please accept my application for primary membership and kindly enroll me as a primary member of the society. My particulars are mentioned below: 1. Name 2. Father / Spouse Name 3. Designation 4. D.O.B. 5. **Employee Code No.** 6. **Present Office Address** 7. Mobile No. E-Mail Address 9. **Residential Address Declaration:** I hereby declare that all the information provided above by me are genuine & I shall keep the society updated of any change in the above. Membership / Monthly / Annual Fee Submission - I hereby confirm to deposit my membership fee (One Time) Rs. 500/- (Rupees Five Hundred Only) in Society's Account No. 76012396641 on Moreover, I have deposited Rs. 50/- as Monthly contribution for initial month or Rs. 600/- as first year Annual fee (Strike, whichever is not applicable). For onward submission of the monthly fee / Annual fee, I have created Standing Instruction for crediting account no. 76012396641 w.e.f. Signature of Applicant Name -Place -......For Office Use Only..... Membership Fee received : Yes ____ No ____ Monthly Fee (Initial Submission & SI Details) : Yes _____ No ___ Primary Membership approved and recorded in the Membership Register on page no. - _____ Remarks, if any: Primary Membership ID Card No. -, Issued on -/......

Seal of the Society

Signature of the President / Vice President / Secretary



UGB FAMILY WELFARE SOCIETY, DEHRADUN

"Society for Health & Welfare"

Regd. Office: 11, Rameshwar Mohalla, Near Jhanda Sahib, Dehradun, Uttarakhand - 248001 Website: http://www.ugbfws.com, Email: ugbwelfare.society@gmail.com

Contact: 7055704215, 9690338768 Society's Sub Membership Form

			Date / /
To, The President / Secretary UGB Family Welfare Society			
Dear Sir,			
Please accept the applicate have read, understood and "UGB Family Welfare Soci	I hereby agree to abide by the	y dependents/family members. I le terms & Conditions regarding ership card as per below mentione v:	Sub membership of
1	2	3	
1- Name :	2- Name :	3- Name :	
D.O.B.:	D.O.B.:	D.O.B.:	
Mobile No. : Relationship :	Mobile No.: Relationship :	Mobile No.: Relationshi	
Rela	o.B.: pileNo.: ationship:	5- Name: D.O.B.: Mobile No.: Relationship:	ed above by me are
genuine & I shall keep the society updated of any change in the above.			
		Signature of	of Primary Member
		(Name -	
		Place	
	For Offic	e Use Only	
Primary Membership No. –			
Sub Membership details recorded in the Membership Register on page no Remarks, if any:			
Sub Membership ID Card No.s, Issued on/			

Signature of the President / Vice President / Secretary

Seal of the Society

निबंधन व शर्ते / Terms & Condition

- यू०जी०बी० फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के उद्देश्य, सोसाइटी रिजस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अनुसार पूर्ण रूप से चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक हैं। सोसाइटी का कार्य सार्वजनिक एव सर्व हितेशी होगा।
- सोसाइटी के गठन का प्राथमिक उद्देश्य उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के बैंककर्मी (वर्तमान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त, सभी अधीनस्थ स्टाफ से लेकर विरिष्ठतम अधिकारी) के स्वयं व पिरवार के आश्रित सदस्यों को स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों यथा Digonostic Centres, Hospitals, Chemists व अन्य सेवा क्षेत्रों जैसे- Hotels, Restaurents, Guest Houses, Educational Institues / Coaching Centres आदि द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाएं, अनुबन्ध के माध्यम से कम दरों या CGHS दरों (जहाँ लागू हो) पर उपलब्ध कराना है।
- सोसाइटी का उद्देश्य, सदस्यों को रियायती दरों पर सुविधाएं उपलब्ध कराना मात्र है। सोसाइटी द्वारा सदस्य के किसी भी प्रकार के बिल या किसी भी प्रतिष्ठान/संस्थान को सेवा के बदले बिल का भुगतान नहीं किया जाना है।
- यदि सोसाइटी के साथ अनुबन्ध से जुड़े किसी भी प्रतिठान/संस्थान द्वारा सेवा में लापरवाही/शिथिलता (Deficiency in service) की जाती है तो इस कारण होने वाले किसी भी प्रकार के क्षय की जिम्मेदारी सोसाइटी की नहीं होगी। सदस्य द्वारा इसकी लिखित शिकायत सोसाइटी को की जा सकती है जिससे कि भविष्य में ऐसे संस्थानों के साथ अनुबन्ध न किया जाये। किन्तु यदि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार का मुकदमा आदि किया जाता है तो सोसाइटी को किसी भी पक्ष के रूप में सिम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- सोसाइटी के अन्य उद्देश्य, सदस्यों की आर्थिक/सामाजिक/नैतिक/आध्यात्मिक/सांस्कृतिक/चारित्रिक विकास हेतु यथा सम्भव प्रयास, सदस्यों के प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्द्धन करना, समाजोत्थान हेतु कार्य करना, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिये वाचनालय की स्थापना व संचालन, पर्यावरण, आपदा और स्वास्थ्य प्रबन्धन एवं सरकारी कार्यो में सहयोग, आदि है।
- सोसाइटी की प्राथमिक सदस्यता हेतु उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक का कर्मचारी (वर्तमान/सेवानिवृत्त) होना अनिवार्य अर्हता है। इसमें पूर्ववर्ती अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक व नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्व.निहित है।
- बैंक के ऐसे कर्मचारी, जिनके द्वारा बैंक सेवा से त्यागपत्र दे दिया गया है, वे भी इसके सदस्य बन सकते हैं बशर्ते उनके द्वारा न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की गयी हो।
- सोसाइटी की प्राथमिक सदस्यता हेतु रू० 500 का प्रवेश शुल्क है। इसके अतिरिक्त सामान्य सदस्य द्वारा रू० 600/- वार्षिक अथवा रू०
 50/- मासिक अंशदान भी दिया जाना आवश्यक होगा। त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक अंशदान की व्यवस्था वर्तमान में लागू नहीं है।
- भिविष्य में सोसाइटी द्वारा लिये जाने वाले मासिक या वार्षिक शुल्क में तर्कसंगत वृद्धि के संदर्भ में सदस्य को 1 माह पूर्व अवगत कराया जायेगा। इस संदर्भ में निर्णय आम सभा बैठक के द्वारा ही लिया जायेगा। यदि किसी भी सदस्य को शुल्क वृद्धि अमान्य हो तो वह स्वयं सोसाइटी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसे मामलों में एक बार जमा किया गया शुल्क (मासिक/वार्षिक) वािपस नहीं किया जायेगा।
- यू०जी०बी० फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की प्राथिमक सदस्यता, सदस्य के पागल होने पर, न्यायालय द्वारा दिण्डित होने पर, दिवालिया होने पर, सदस्यता शुल्क न देने पर या संस्था विरोधी कार्य करने पर समाप्त की जा सकती है। इस संदर्भ में सोसाइटी की प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा लिया गया निर्णय, अंतिम रूप से मान्य होगा व ऐसे प्रकरण में वाद-विवाद या न्यायालय में मुकदमे आदि की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
- सोसाइटी के प्राथमिक सदस्य के पिरवार के आश्रित सदस्यों (अधिकतम 5) द्वारा यू0जी0बी0 फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की उप सदस्यता के लिये कोई सदस्यता शुल्क नहीं दिया जाना है। यदि माता या पिता आश्रित न भी हों तो भी उन्हें उप सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। पिरवार के आश्रित सदस्यों की जानकारी का सही विवरण दिये जाने की जिम्मेदारी प्राथमिक सदस्य की है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये प्राथमिक सदस्य ही जिम्मेवार होगा। यदि मृत्यु के इतर किन्हीं कारणों से प्राथमिक सदस्यता समाप्त हो जाती है तो उप सदस्यता स्वत: समाप्त हो जायेगी।
- सोसाइटी की प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तिगण, जिनका मार्ग-दर्शन संस्था के लिए आवश्यक हो, समय-समय पर नामित किया जा सकता है व साधारण सभा द्वारा अनुमोदित होने पर ऐसे सदस्य विशिष्ट सदस्य के रूप में वर्गीकृत होगें। विशिष्ट सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाना है।